


200

76

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खातिलय सर्विके कोर्ट रोवा संभाग रोवा म 0प्र0।  
प्रकाश क्रमांक 117/2706



मा/ 11/2017/2706

- 1- भोमनेन                      ₹ तीनो के प्रता श्यामसुंदर पटेल, सभी निवासी ग्राम बुड़वा
- 2- सत्यनारायण            ₹ तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रोवा म0प्र0
- 3- द्वारिका                    ₹

-----निगरानी कार्रगा।

बनाम

- 1- अच्छेलाल तनय हृबलाल पटेल निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रोवा म0प्र0।
- 2- लालबहादुर तनय मोहन सिंह निवासी ग्राम छु तह0 रायपुर कर्चुलियानजिला रोवा म0प्र0।
- 3- रामकली पत्नी राजभान पटेल नि वासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चु - लियान जिला रोवा म0प्र0

----- गैर निगरानी कार्रगा।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अपर जिलाध्यक्ष महोदय रोवा के प्र0प्र0 473/अ6/निगरानी/2010-11 आदेश दिनांक 02-06-17 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजसं0 1959 ई0 ।

अधिमोही संगमलाल सिंघे द्वारा करा 16-8-17

कलकत्ता अपर कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 खातिलय (सर्विके कोर्ट) रोवा

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-

यहिक विवादित भूमियां स्व0 गणराज पटेल की थी, उनके कोई वारि-शान नहीं थे, वे अपने जीवनकाल में ही वृद्ध हो जाने के कारण दिनांक 27 जुलाई 1988 को अप ने भतीजों भोमनेन, सत्यनारायण, द्वारिका प्रियतरान श्याम सुन्दर पटेल सभी निवासी ग्राम बुड़वा थाना/तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रोवा म0प्र0के रीजस्टर्ड वसीतनामा करा दिया था; निगरानी कार्र गा हो उनकी परिवारिभ करते थे, वे ही उनका दाह संस्कार तेरहों व वरषी किये है, गैर निगराकारगणों को स्व0 गणराज के हिस्से की भूमियों में कोई भी अधिकार नहीं था। निग-

प्र0

प्र0

(76)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक III / दि. 20.12.2017 / 2706 जिला- रीवा

श्रीमदन

विरुद्ध

श्रीमदलाल शर्मा

(1)

(2)

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री श्रीमदलाल शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~ / अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 473/206/दि. 10-11 में पारित आदेश दिनांक 02-06-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य